

न्याय प्रणाली में DNA प्रोफाइलिंग

प्रलिस के लिये:

[डी-ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड \(DNA\)](#), DNA प्रोफाइलिंग, [मोनोजायगोटिक ट्विन्स](#), [भारतीय वधि आयोग](#), [अनुच्छेद 20\(3\)](#), [भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता \(BNSS\) 2023](#)

मेन्स के लिये:

DNA प्रोफाइलिंग और चुनौतियाँ, न्यायिक प्रणाली में उभरती प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

जून 2024 में [लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण \(POCSO\) अधिनियम, 2012](#) के तहत दोषसिद्धि को पलटने के मद्दास उच्च न्यायालय के नरिणय के कारण कानूनी मामलों में [डी-ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड \(DNA\)](#) प्रोफाइलिंग की वशि्वसनीयता पर फरि से चर्चा शुरु हो गई है।

- न्यायालय ने दोषसिद्धि के लिये केवल DNA साक्ष्य पर नरिभर न होने के महत्त्व पर ज़ोर देने के साथ ही पुष्टि करने वाले साक्ष्य की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

DNA प्रोफाइलिंग क्या है?

- रचिय:** DNA प्रोफाइलिंग या **DNA फगिरप्रटिगि** में कसिी व्यक्ती के DNA के वशिषिट कषेत्रों का वशि्लेषण करके उसकी पहचान की जाती है। जबकि मानव DNA 99.9% समान है, शेष 0.1% में **शॉर्ट टैंडम रपिट (Short Tandem Repeats- STR)** नामक अद्वितीय/वशिषिट अनुक्रम होता है, जो फोरेंसिक जाँच के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- आनुवांशिक कोड के रूप में DNA:** DNA **यूकेरियोटिक कोशिकाओं (जंतु और पादप) के नाभिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं (बैक्टीरिया) के कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। इसकी संरचना एक डबल हेलक्स के रूप में होती है।**
 - यह **गुणसूत्रों के 23 युग्म में व्यवस्थित** होता है, जो माता-पिता दोनों से समान रूप से वंशागत होते हैं, जो **एडेननि (A), गुआननि (G), थाइमनि (T) और साइटोसनि (C)** नामक चार न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रमों में आनुवंशिक सूचना को एनकोड करते हैं।
 - DNA को वभिन्नि जैविक पदार्थों जैसे रक्त, लार, वीर्य और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों से निकाला जा सकता है। DNA प्रोफाइल बनाने के लिये इन नमूनों को एकत्र किया जाता है और उनका वशि्लेषण किया जाता है।
 - शारीरिक संपर्क के दौरान पीछे छूटे (बचे) DNA, जैसे **स्पर्श DNA/टच DNA** के रूप में जाना जाता है, प्रायः कम मात्रा में होते हैं और संभावित संदूषण के कारण प्रोफाइलिंग के लिये आदर्श नहीं होते हैं।
 - DNA प्रोफाइलिंग में वशिषिट कषेत्रों पर ध्यान** दिया जाता है जनिहें **जेनेटिक मार्कर** कहा जाता है, जसिमें **मोनोजायगोटिक ट्विन्स (समान जुड़वाँ) को छोड़कर व्यक्तियों के बीच STR** इनकी परिवर्तनशीलता के कारण अधिमिन्य मार्कर होते हैं।
- DNA प्रोफाइलिंग की प्रकरिया:**
 - पृथककरण:** एकत्रित जैविक नमूनों से DNA का नषिकरण।
 - शुद्धिकरण और परमिणीकरण:** यह सुनिश्चित करना कि DNA संदूषकों से मुक्त है और इसकी सांद्रता का नरिधारण करना।
 - प्रवरदधन:** वशि्लेषण के लिये पर्याप्त DNA उत्पन्न करने के लिये चयनित आनुवंशिक मार्करों का प्रतकृतियन करना।
 - वज्जुअलाइजेशन और जीनोटाइपिंग:** DNA मार्करों के वशिषिट अनुक्रमों की पहचान करना।
 - सांख्यिकीय वशि्लेषण एवं व्याख्या:** DNA प्रोफाइल की तुलना करना और मलिन की संभावना की गणना करना।
 - वशिष स्थितियाँ:**
 - खराब नमूनों के मामलों में, **miniSTRs (छोटे DNA टुकड़े) का उपयोग** किया जा सकता है क्योंकि वे पर्यावरणीय तनाव से बचने की अधिक संभावना रखते हैं। इसके अतरिकित, **माइटोकॉन्ड्रियल DNA (mtDNA)** मातृ वंश का पता लगाने के लिये उपयोगी है और इसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब नाभिकीय DNA अपर्याप्त होता है।

कानूनी कार्यवाहियों में DNA प्रोफाइलिंग का उपयोग कैसे किया जाता है?

- **मलिन प्रक्रिया:** फोरेंसिक मामलों में साक्ष्य से प्राप्त DNA प्रोफाइल की तुलना ज्ञात या संदर्भ नमूनों से की जाती है। इस तुलना के परिणाम तीन संभावित परिणाम दे सकते हैं:
 - **मलिन:** DNA प्रोफाइल में कोई अंतर नहीं है, जो एक सामान्य स्रोत का संकेत देता है।
 - **बहिष्करण:** प्रोफाइल अलग-अलग हैं, जो अलग-अलग स्रोतों का संकेत देते हैं।
 - **अनरिणायक:** डेटा स्पष्ट परिणाम प्रदान नहीं करता है।
- **सांख्यिकीय समर्थन:** यदि प्रोफाइल सुमेलित होती है तो भी यह **नरिणायक रूप से पहचान साबित नहीं करता है**; इसके बजाय विशेषज्ञ एक "यादृच्छिक घटना अनुपात" प्रदान करते हैं, जो यह दर्शाता है कि जनसंख्या में कतिनी बार समान प्रोफाइल दिखाई दे सकते हैं।
- **कानूनी व्याख्या:** मद्रास उच्च न्यायालय और **भारत का वधि आयोग** ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि DNA मलिन नरिणायक रूप से पहचान साबित नहीं करता है।
 - "यादृच्छिक घटना अनुपात" यह इंगित करता है कि जनसंख्या में एक विशेष DNA प्रोफाइल कतिनी बार दिखाई दे सकती है, जो **उचित संदेह से परे अपराध स्थापित करने के लिये पर्याप्त नहीं हो सकता है**।

भारत में DNA प्रोफाइलिंग के संबंध में कानूनी प्रावधान क्या हैं?

- **कानूनी ढाँचा:**
 - **भारतीय संविधान: अनुच्छेद 20(3)** व्यक्तियों को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिये मजबूर किये जाने से बचाता है तथा **आत्म-दोषी ठहराए जाने के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करता है**।
 - **अनुच्छेद 21** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है तथा अनाधिकृत हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।
 - **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC):** धारा 53 जाँच एजेंसी के अनुरोध पर संदिग्धों की DNA प्रोफाइलिंग को अधिकृत करती है। **धारा 53A** विशेष रूप से बलात्कार के संदिग्धों के लिये DNA प्रोफाइलिंग की अनुमति देती है।
 - **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023** ने 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) को प्रतिस्थापित कर दिया।
 - **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872:** धारा 45-51 न्यायालय में DNA साक्ष्य सहित विशेषज्ञ साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित हैं।
- **न्यायिक उदाहरण:**
 - **पट्टू राजन बनाम टी.एन. राज्य 2019:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि **DNA साक्ष्य का सत्यापनात्मक मूल्य मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों** को दिये गए महत्त्व, चाहे वे विपरीत हों या पुष्टिकारक, के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है।
 - उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि DNA साक्ष्य, यद्यपि अधिकाधिक सटीक और विश्वसनीय होते जा रहे हैं, लेकिन वे अचूक नहीं हैं तथा ऐसे साक्ष्य के अभाव में **किसी पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल नष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिये, विशेषकर तब जब अन्य ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद हों**।
 - **शारदा बनाम धर्मपाल, 2003:** सर्वोच्च न्यायालय ने **अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किये बिना DNA प्रोफाइलिंग सहित चकित्सा परीक्षाओं को अनविर्य बनाने के वैवाहिक न्यायालयों के अधिकार को बरकरार रखा**।
 - **दास @ अनु बनाम केरल राज्य, 2022:** केरल उच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म-दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अधिकार केवल साक्ष्य पर लागू होता है और आपराधिक मामले विशेषकर यौन अपराध में DNA नमूने लेना इस अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।
 - न्यायालय ने यह भी कहा कि CrPC की धारा 53A पुलिस को नमूने एकत्र करने के लिये आरोपी को चकित्सक के पास भेजने का अधिकार देती है।
- **वधि आयोग की सफारिशें:**
 - **भारतीय वधि आयोग की 271वीं रिपोर्ट (2017)** में DNA प्रोफाइलिंग के लिये व्यापक कानून का प्रस्ताव दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप **DNA प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधियक, 2019** तैयार हुआ। दुरुपयोग को रोकने और DNA प्रोफाइलिंग को केवल कानूनी उपयोग तक सीमित रखने हेतु एक अद्वितीय नियामक ढाँचे का आग्रह किया गया।

DNA प्रोफाइलिंग की सीमाएँ क्या हैं?

- **पर्यावरणीय तनाव और नमूने का क्षरण:** पर्यावरणीय कारकों के कारण DNA को नुकसान पहुँच सकता है, जिसके परिणामस्वरूप नमूने **अधूरे या क्षीण हो सकते हैं**।
 - इन मामलों में **miniSTRs और mtDNA विश्लेषण जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है**, लेकिन फिर भी उनमें सीमाएँ हैं।
- **जटिलता और विश्वसनीयता:** DNA प्रोफाइलिंग एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिये सटीक तकनीकों और स्थितियों की आवश्यकता होती है। **संदूषण, अनुचित हैंडलिंग या परीक्षण में देरी जैसे मुद्दे परिणामों की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं**।
- **लागत:** DNA विश्लेषण महंगा हो सकता है, जिससे कुछ मामलों में इसकी पहुँच सीमित हो सकती है।
- **कानूनी व्याख्या:** जबकि DNA साक्ष्य एक शक्तिशाली उपकरण है, इसे अचूक (हमेशा प्रभावी) के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये। न्यायालयों को नष्पक्ष और न्यायपूर्ण नरिणय सुनिश्चित करने के लिये अन्य पुष्टि या वरीधाभासी साक्ष्य के साथ DNA साक्ष्य पर विचार करना चाहिये।
 - मौजूदा कानूनी ढाँचा DNA साक्ष्य को मान्यता देता है, लेकिन इसमें **व्यापक विनियामक संरचना का अभाव है**।
 - **DNA प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधियक, 2019** का उद्देश्य इन कमियों को दूर करना है। **संसद** में कई बार पेश किये गए DNA विधियक को DNA प्रौद्योगिकी की सटीकता, व्यक्तिगत गोपनीयता के लिये संभावित खतरों और दुरुपयोग की संभावना के आधार पर वरीध का सामना करना पड़ा।

आगे की राह

- **सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ाना:** DNA प्रोफाइलिंग तकनीकों को बेहतर बनाने और नमूने के क्षरण एवं संदूषण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिये अनुसंधान तथा विकास में निवेश करना। प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना।
- **नषिपक्ष कानूनी व्यवहार सुनिश्चित करना:** दोषसिद्धि में साक्ष्य की पुष्टि करने के महत्त्व पर जोर देना। न्यायपूरण और नषिपक्ष परणाम सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय में DNA साक्ष्य की स्वीकार्यता और महत्त्व के लिये दशिया-नरिदेश वकिसति करना।
- **DNA प्रौद्योगिकी वधियक:** DNA प्रौद्योगिकी वधियक, 2019 का उद्देश्य **दुरुपयोग को रोकने और DNA प्रोफाइलिंग का उचित उपयोग सुनिश्चित करने** के लिये एक वनियामक ढाँचा तैयार करना है। गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करने और मज़बूत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिये इस वधियक पर पुनः वचिर करने तथा संभावति रूप से संशोधन करने की आवश्यकता है।
- **कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता:** जनता का वशिवास बनाए रखने के लिये DNA साक्ष्य को एकत्रति करने, उसका वशिलेषण करने और न्यायालय में प्रस्तुत करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न: दोषसिद्धि के लिये केवल DNA प्रोफाइलिंग पर नरिभर रहने से संभावति समस्याएँ क्या हैं और न्यायिक प्रक्रिया में न्याय सुनिश्चित करने हेतु इन मुद्दों को कैसे कम कया जा सकता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि:

DNA बारकोडिंग कसिका उपसाधन हो सकता है?

1. कसिी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिये
2. समान दखिने वाली प्रजातयिों के बीच भनिनता जानने के लिये
3. प्रसंसकृत खादयपदार्थों में अवांछति प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिये

उपरयुक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 3
- (c) 1 और 2
- (d) 2 और 3

प्रश्न: वजिज्ञान में हुए अभनिय वकिसाओं के संदरभ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है? (2019)

- (a) वभिनिन जातयिों की कोशकियाओं से लयि गए DNA के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं।
- (b) प्रयोगशालाओं में कृत्रमि प्रकार्यात्मक DNA के हसिसे रचे जा सकते हैं।
- (c) कसिी जंतु कोशकिया से निकाले गए DNA के कसिी हसिसे को जीवति कोशकिया से बाहर प्रयोगशाला में, प्रतकृत कराया जा सकता है।
- (d) पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशकियाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशकिया वभिजन कराया जा सकता है।

उत्तर: (a)